न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 151/2016

सावंत सिंह बनाम मनोहर सिंह वगै0

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सी.पी.सी

1. श्री रविशंकर अग्रवाल अप्रार्थी। वादी की ओर से
2. श्री रामगोपाल गुप्ता वकील । प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 1-4-2022

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि साबिक आराजी ख0 न0 1510 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1511 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 1512 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1513 रकबा 2 बीघा 19 ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिसके हाल सेटिलमेन्ट कार्यवाही में हाल ख0न0 626 रकबा 2.95 है0 निर्धारित किये गये है। जिसके 1/2 भाग पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 10 व 11 का 1/2 भाग पर कब्जा रहा है व जिसका प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 व 4 लगायत 6 के पूर्णज अमरसिंह व आराजी के अन्य दर्ज सहखातेदारान ने आपसी साजिश के तहत वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को मुगालते में रखकर अन्य दीगर आराजीयात के साथ बंटवारा करा लिया व हाल ख0 न0 626/2.95 है0 पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्से के विपरीत 626 के भिन्न–भिन्न बटा नंबर कायम करवा कर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली जो गलत है।

प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी में इस प्रकार है कि प्रश्नगत हाल आराजी ख0न0 626/2.95 वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा के संबंध में अन्य आराजी ने साथ वादी व अन्य सहखातेदारान की उपस्थिती में सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 21.02.2004 को सहमति के आधार पर निर्णय किया जाकर आराजी का विभाजन कर पृथक–पृथक खातेदारी कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी है। तथा व सहमति के आधार पर सक्षम अधिकार न्यायालय द्वारा निर्णय कर खातेदारी भूमि का विभाजन किया गया है तो अब उसे अन्य प्रकरण के आधार से प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। हाल आराजी ख0न0 626/2.95 है वाके करीरी के संबंध में दिनांक 21.02.2004 तहसीलदार का निर्णय अंतिम है व प्रकरण विनाय फैसल शुदा होने से झुठी केस की तारीफ में आता है व विधि द्वारा वर्जित होने से प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही कि जो गलत रही है व वादपत्र इसी स्टेज पर खारीज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी /वादी द्वारा प्रार्थन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर आराजी ख0न0 626/2.95 है कि सहमति से विभाजन के तथ्यो को इंकार करते हुए यह कथन किया गया है प्रार्थी/प्रतिवादी संबंधित व समस्त अप्राप्त अपने जवाबदावे के माध्यम से उठाकर नियमित सुनवाई होकर ही न्याय निर्णय किया जाना चाहिए। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी की परिधि में नहीं आते व प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रार्थना पत्र उभयपक्षो की बहस सुनी गयी वकील प्रतिवादी 1 लगायत 3 द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया व दस्तावेजात में दिनांक 21.02.2004 को तहसीलदार के समक्ष सहमति से विभाजन पत्र, हल्का पटवारी की रिपोर्ट सहमति का स्टाम्प व जमाबंदी जिसमें खसरा नंबर 626 के अलावा ख0 नंबर 438, 439, 514, 2225, 2226 के संबंध में खातेदारी विभाजन कर दिनांक 04.09.1993 को निर्णय कर तत्पश्चात विभाजन के अनुसार नामांतरकरण रजिस्टर में प्रतिष्ठि की गयी है। दौराने बहस वादपत्र के कथनानुसार ख0 न0 626 में 1/2 भाग की खातेदारी कभी भी ना तो वादी के नाम दर्ज रही है व सहमति से विभाजन प्रस्ताव ख न 626 के अलावा अन्य सहखातेदारी की भूमि का भी विभाजन न्यायालय द्वारा किया गया है तो मात्र एक ख0न0 के संबंध में वादी को वादपत्र लाने का अधिकार नहीं है तथा जहा तक धोखे से व मुगालते से बंटवारा होने का प्रश्न है तो वादी या तो उसी न्यायालय के समक्ष या धोखे से यदि डिक्री प्राप्त कर ली गयी हो तो सक्षम सिविल न्यायलय में डिक्री को निरस्त कराने के लिए जा सकते है लेकिन प्रश्नगत वादपत्र के माध्यम से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को वाद दायरी का अधिकार नहीं हैं व वाद विधि द्वारा वर्जित होने व समान विषयवस्तु व परेशान करने वाले वादपत्र इसी स्तर पर खारीज किये जाने का निवेदन किया गया। उन्होने अपने तर्को के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कि है।

1. 2011 (1) DNJ 96 RAJ
2. 2015 (1) RRT 6
3. 2003 (1) DNJ 107 S.C
4. 2017 (1) 1 RA
5. 2016 DNJ 644 S.C
6. 2006 RRT (1) 226
7. 2006 (2) RRT 1320
8. 2011–12 (541, 489)

अप्रार्थीगण/वादी द्वारा दौराने बहस अपनी जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायलय श्रीमान द्वारा सुनवाई का होने व प्रार्थना पत्र में उठाने आपत्ति जवाबदावा द्वारा ली जाकर उभयपक्षो की साक्ष्य ली जाकर नियमित सुनवाई की जाकर व उठाई गयी आपत्ति आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी की परिधि में नहीं आने से अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया। फोटो प्रति लिखावट पेश की व अपने तर्को के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किंये।

1. 2012 (1) RRT 658
2. 2020 RBJ 291

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व पत्रावली में वादपत्र के कथनो व उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया वाद पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि वादपत्र के माध्यम से मात्र हाल ख0न0 626/2.95 है0 संबंध में प्रस्तुत किया गया है व उसमे से 1/2 भाग भी दुरूस्ती चाही गयी है तथा प्रार्थना पत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण की अन्य सहखातेदारी भूमि के संबंध में सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से सक्षम न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा समस्त सहखातेदारी भूमि कर बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज कर गयी है ऐसी स्थिति में न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से वादी को सहमति से विभाजन को इस वाद पत्र के माध्यम से प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं है व प्रकरण विनाय फेसल शुदा होने व Resjudicata की

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

तारीफ में आने व सम्यक विषयवस्तु पर प्रस्तुत वाद पत्र मात्र प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है ऐसे वादपत्र से वादो क़ी बहुलता रोकने के लिए भी वाद पत्र इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी सं 1 व 3 द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने व पोषणीय नहीं होने के कारण वादपत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। हर्जा खर्चा पक्षकार स्वयं अपना–अपना वहन करे। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा–जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 151/2016

सांवत सिंह पुत्र छत्तुसिंह जाति राजपूत, उम्र व्यस्क, निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. मनोहरसिंह पुत्र भागूसिंह
2. सांवतसिंह पुत्र सोहन सिंह
3. रणवीर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह
4. लाडकंवर पुत्री अमरसिंह
5. महिपाल सिंह पुत्र महालसिंह
6. सुप्यार कंवर पत्नी महालसिंह
   समस्त व्यस्कान जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
7. उपपंजीयक अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
8. पटवारी पटवार हल्का करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

10. सुल्तान सिंह पुत्र छत्तुसिंह
11. वीरविक्रम सिंह पुत्र छत्तुसिह
    जाति राजपूत निवासी करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सी.पी.सी

निर्णय दिनांक 1-4-2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी सं 1 व 3 द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने व पोषणीय नहीं होने के कारण वादपत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। हर्जा खर्चा पक्षकार स्वयं अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 1-4-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	